न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -71/2024

अनवान

चितरंजन कुमार पुत्र अक्षय कुमार हरसौरा जैन, जाति जैन, आयु बालिग, निवासी रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़,

-वादी /प्रार्थी

बनाम

जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित - श्री बलवीर सिंह अभिभाषक प्रार्थी व अप्रार्थी पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 07.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के खाते व स्वामित्व की कृषि आराजियात ग्राम चेनपुरा, प.ह. वहेलिया, भू.अ.नि.क्षेत्र रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान खाता संख्या 8. पुराना 8 की खसरा संख्या 79,80, 84 कुल किता 03 कुल रकबा 2.2600 हेक्टर स्थित है. श्रीमान की जानकारी हेतु जमावंदी सम्वत् 2076-79 व नक्शा ट्रेस की नकल साथ में संलग्न है। मुझ प्रार्थी का नाम चिंतरजन कुमार पुत्र अक्षय कुमार हरसौरा जैन है. क्योंकि मुझ प्रार्थी चितरंजन कुमार के आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार आदि में मेरा नाम चितरंजन कुमार पुत्र अक्षय कुमार हरसौरा जैन नाम दर्ज है, किन्तु सहवन से उक्त आराजियात का सेटलमेन्ट चौसाला खतौनी करते वक्त मेरे पिता का नाम अक्षय कुमार हरसौरा जैन के स्थान पर अभय अंकित कर दिया गया है, जवकि मुझ प्रार्थी की पुरानी जमावंदी सम्वत् 2056-59 की खाता संख्या 10 में चितरंजन कुमार पिता अक्षय कुमार हरसौरा जैन सा. रावतभाटा खातेवार दर्ज है, तथा इसी प्रकार जमावंदी सम्वत् 2052-55 की खाता संख्या 9 में भी चितरंजन कुमार पिता अक्षय कुमार हरसौरा जैन निवासी रावतभाटा खातेदार दर्ज है, पर सेटलमेन्ट के दौरान नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का नाम अक्षय कुमार हरसौरा जैन के स्थान पर अभय दर्ज हो गया है, उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवंश हुई है, इसलिए उक्त खाते में प्रार्थी के पिता का नाम अभय के स्थान पर अक्षय कुमार हरसौरा जैन अंकित किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि आराजियात ग्राम चेनपुरा, प.ह. वहेलिया, भू.अ.नि. क्षेत्र रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, स्थित है। अंत में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कालम संख्या 01 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता का नाम अभय के स्थान पर अक्षय कुमार हरसौरा जैन किये जाने का आदेश प्रदान कर इंतकाल दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलव किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में जवाव की आवश्यकता नही होने का निवेदन कर जवाव देने से इन्कार किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सवूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम चेनपुरा व प0ह0 वहेलिया की जमावंदी सम्वत 2052-55 व सम्वत 2056-59 की जमावंदी में दर्ज खाता संख्या 9, 10 खसरा संख्या 7/2, 7/3 में प्रार्थी के पिता का नाम अक्षय कुमार हरसौरा दर्ज है, जवकि सेटलमेंट के वाद ग्राम चेनपुरा व प0ह0 वहेलिया की जमावंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 8 खसरा संख्या 79, 80, 84 कुल किता 03 कुल रकबा 2.26है0 भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम अभय दर्ज कर दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिसल वंदोवस्त सम्वत 2061-2081 भू प्रवन्ध विभाग ग्राम चेनपुरा के मिलान क्षैत्रफल के आधार नये व पुराने आराजी का मिलान भी हो रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम अभय के स्थान पर अक्षय कुमार हरसौरा जैन करने के संवंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-136 रा.ले.रे.एक्ट [illegible] स्वीकार किया जाकर [illegible] पुरा व प0ह0 वहेलिया की जमावंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 8 [illegible] 79, 80 [illegible] किता 03 कुल रकवा 2.26है0 भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम अभय के स्थान पर अक्षय कुमार हरसौरा जैन दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested